



DAILY NEWS BULLETIN

LEADING HEALTH, POPULATION AND FAMILY WELFARE STORIES OF THE Day
Saturday

20260815

Aadhaar to passport: 14 of 40 Census queries are additions or modifications to 2011 list

Dooptima Thwary
& Mahender Singh Manral
New Delhi, August 14

THE POPULATION enumeration phase of the Census, scheduled to begin next month, will have 14 new or modified questions compared with the 2011 Census.

Incidentally, several of these questions were also part of the National Population Register (NPR) schedule notified in 2020. Some of them, including those seeking details of a person's father and mother and their places of birth, had sparked controversy at the time amid fears that the NPR was being used to prepare the ground for a nationwide National Register of Citizens (NRC) exercise.

The Registrar General of India (RGI) on Friday notified the schedule (questionnaire) for population enumeration, comprising 40 questions. These range from personal and parental details to nationality, education, bank accounts and the place where a person received a Covid-19 vaccine. The question on Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribe (ST) has also been modified to include "caste".

The 14 new or modified questions, compared with the 2011 Census, are — spouse

name, nationality as declared, father's particulars, mother's particulars, SC/ST/Caste, literacy/ digital literacy, highest educational level attained and stream/ discipline, place of Covid-19 vaccination, total number of bank accounts, mobile number (if available), Aadhaar number (if available), voter ID number (if available), passport number (if Indian passport holder), and availability of driving licence.

Of these, particulars on nationality, father's particulars, mother's particulars, mobile number, Aadhaar number, voter ID, passport number, and driving licence were also included in the NPR schedule notified in 2020.

The NPR is the register of "usual residents" of the country. It is governed by the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, framed under the Citizenship Act, 1955. The rules provide for preparation of a Population Register and envisage its verification for preparation of the National Register of Indian Citizens.

The 2020 NPR schedule had sought, among other things, the date and place of birth of a person's father and mother, including the district and state

Several questions were also part of the National Population Register schedule notified in 2020

• Census: New or modified particulars



and, in case they were born outside India, the country of birth. These questions had created considerable controversy in 2019-20, particularly after the passage of the Citizenship Amendment Act (CAA).

Opposition parties and civil society groups had argued that the NPR was a precursor to a nationwide NRC and that the collection of parental birth details

could subsequently be used to determine citizenship. Several opposition-led states passed resolutions opposing the NPR exercise. The controversy was amplified by statements from Union Home Minister Amit Shah, who had repeatedly spoken of a nationwide NRC and sought to link the NRC with the CAA through his reference to the "chronology". At the peak

of the anti-CAA protests, Prime Minister Narendra Modi said in December 2019 that the government had not taken any decision to conduct the NRC. The Home Ministry and Shah subsequently reiterated that position on several occasions.

The 2020 NPR exercise was ultimately postponed because of Covid-19 and was not notified afresh when Census operations were revived this year.

The new Census questionnaire thus brings back several of the questions that had been at the centre of that earlier controversy, even though there is currently no notification for conducting the NPR or any decision announced by the government to undertake a nationwide NRC.

Under Rule 3(4) of the Citizenship Rules, the Centre may decide a date by which the Population Register is to be prepared by collecting information on all persons "usually residing" within the jurisdiction of a Local Registrar. Rule 3(5) provides that the Local Registrar of Indian Citizens will contain details of persons after verification from the Population Register. Rule 4 further provides for marking the particulars of individuals whose citizenship is considered doubtful during the verification process for further inquiry.

It is this statutory link between the NPR and the NRC that had made the 2019-20 exercise politically contentious.

The NPR data was first collected in 2010, along with the houselisting phase of the 2011 Census, and was subsequently updated through a door-to-door exercise in 2015. The RGI revived the NPR through a notification in August 2019, and the exercise was scheduled to be carried out along with the houselisting phase of the 2021 Census.

The NPR exercise, however, was postponed due to the Covid-19 pandemic. Although the Union Budget 2026-27 allocated Rs 6,000 crore under the head "Census, Survey and Statistics/ Registrar General of India" for Census 2027 and NPR, the government did not notify a fresh NPR exercise when Census operations were taken up this year. The houselisting phase was notified for April 1 to September 30, but the notification made no mention of the NPR.

A Home Ministry official had said the allocation was in line with provisions made in previous budgets since 2020 and was intended to ensure funds were available "if and as and when" the government decided to conduct the NPR.

मच्छरो से जंग, MCD के पास दवाई है कम

AI Image



Rajesh.Saroha
@timesofindia.com

इस साल अब तक मच्छर जनित बीमारियां

230 डेंगू

71 मलेरिया

16 चिकनगुनिया

(कुल केस)



■ नई दिल्ली: MCD के पब्लिक हेल्थ विभाग के पास कीटनाशकों की भारी कमी चल रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक वॉर्ड के लिए जितने कीटनाशक की जरूरत होती है उसके मुकाबले फील्ड स्टाफ को मुश्किल से 20% कीटनाशक ही दिया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि यह स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि पब्लिक हेल्थ विभाग ने इस साल कीटनाशकों की खरीद में लापरवाही बरती। फरवरी से मई के बीच जरूरत के मुताबिक कीटनाशकों की खरीद होनी थी, लेकिन अब तक कीटनाशक नहीं खरीदे जा सके। हैरानी इस बात की है कि पब्लिक हेल्थ विभाग कीटनाशकों की कमी के मामले में कमिशनर को भी गुमराह करता रहा।

पब्लिक हेल्थ विभाग को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए मुख्य रूप से पांच तरह के कीटनाशकों की जरूरत पड़ती है। MCD कमिशनर संजीव खिरवार ने पिछले दिनों डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए उठाए

25 किलो की जरूरत, मिल रहा सिर्फ 5 किलो

जा रहे कदमों और दवाइयों के स्टॉक की जानकारी मांगी थी। मीटिंग में मौजूद सीनियर अधिकारियों ने कीटनाशकों की कमी की बात पर पर्दा डालते हुए MCD कमिशनर से कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ग्राउंड में तैनात सूत्रों ने बताया कि एक वॉर्ड में पूरे सीजन के दौरान अगर 25 किलो कीटनाशक लगता है तो उसकी जगह मुश्किल से पांच किलो ही दिया जा रहा है।

पहले खाली डब्बों और कूलर आदि में लावा पैदा न हों इसके लिए घर घर दवाई बांटी जाती थी। दवाई की कमी होने के कारण इस साल दवाई बांटने की जगह सिर्फ लोगों को जागरूक ही किया जा रहा है। इसके अलावा नालियों आदि में मच्छर पैदा न हों इसके लिए कीटनाशक मिलाकर उसका नालियों आदि में छिड़काव किया जाता है। वह भी ढंग से नहीं हो पा रहा है।

दिल्ली में 5 साल में 12,809 खाने के सैंपलों की जांच, 862 हुए फेल, 261 पर सिविल केस

■ NBT न्यूज, नई दिल्ली

दिल्ली में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर पिछले 5 साल में 12,809 खाद्य सैंपल की जांच की गई। इनमें 862 सैंपल निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। ऐसे मामलों में 261 के खिलाफ सिविल केस और 81 के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हुए। यह जानकारी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से दी गई है।



AI Image

फीसदी फूड बिजनेस ऑपरेटर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी राज्य पर ही आती है। सरकार ने बताया कि FSSAI ने देश में 259 NABL मान्यता प्राप्त फूड टेस्टिंग लैब नोटिफाई की हुई है। इसके अलावा अपीलीय नमूनों की जांच के लिए 24 रेफरल फूड लैब भी हैं।

डार्क स्टोर भी नियमों के दायरे में: सरकार ने यह भी साफ किया है कि क्विक कॉमर्स कंपनियों के डार्क स्टोर भी खाद्य सुरक्षा नियमों के दायरे में आते हैं। खाने के सामानों को स्टोर करने से जुड़े इन सेंट्स पर स्टोरेज कंडीशन, टेम्परेचर कंट्रोल, सफाई, पेस्ट कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट और रिकॉर्ड रखने जैसी शर्तों का पालन जरूरी है।

की जांच की गई। इनमें से 109 यानी 6.47% सैंपल फेल रहे। 32 मामलों में सिविल केस किए गए हैं, जबकि 16 के खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहे हैं। दिल्ली में फूड सैंपल की जांच के लिए

14 लैब हैं, जिनमें से 12 प्राइवेट हैं।

केंद्र सरकार के मुताबिक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की है। हालांकि, करीब 98

आज़ादी के बाद पहली बार इस जनगणना में जाति भी पूछी जाएगी

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

AI Image

केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दौरान लोगों से पूछे जाने वाले 40 सवाल तय किए हैं। आज़ादी के बाद पहली बार जाति से जुड़ा सवाल

भी शामिल किया गया है। 1 सितंबर से J&K, लद्दाख, उत्तराखंड से शुरुआत होगी। शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, लोगों से पूछा

जाएगा कि वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं या नहीं और उनकी जाति क्या है?

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में आबादी की गिनती 1 से 30 सितंबर तक होगी। इन इलाकों के लोग 17 से 31 अगस्त के बीच खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे।



बैंक खातों की भी लेंगे जानकारी

लोगों से दिव्यांगता, भाषाओं की जानकारी, डिजिटल समझ जैसे सवाल पूछे जाएंगे। नौकरी या काम, कारोबार, जन्म स्थान, पलायन की वजह भी पूछेंगे। लोगों से कोविड-19 टीकाकरण, बैंक खातों की संख्या, आधार नंबर, वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की भी जानकारी लेंगे।

जनगणना में रोजगार से पलायन तक का होगा पूरा हिसाब, महिलाओं से लेंगे बच्चों की जानकारी

नई दिल्ली। जनगणना-2027 में आम आदमी के रोजगार से लेकर पलायन तक का पूरा हिसाब होगा। जनगणना में पिछले एक साल के दौरान काम करने, आर्थिक गतिविधि, पेशे, उद्योग-व्यापार या सेवा, कामगार की श्रेणी और काम की उपलब्धता से जुड़े सवाल होंगे। जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान, माइग्रेशन का कारण और वहां रहने की अवधि पूछी जाएगी।

स्थायी निवास का पता भी दर्ज होगा। महिलाओं से जीवित बच्चों, अब तक जन्मे बच्चों और पिछले एक साल में जन्मे बच्चों की संख्या भी पूछी जाएगी। पूरी जनगणना डिजिटल माध्यम से कराए जाने की तैयारी है। जनगणना का मकान सूचीकरण और आवास गणना वाला पहला चरण 30 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद आबादी की गणना का चरण शुरू होगा। व्यूरो

ये 40 सवाल पूछे जाएंगे

- व्यक्ति का नाम
- मुखिया से संबंध
- लिंग, जन्मतिथि और उम्र
- वैवाहिक स्थिति
- विवाह के समय उम्र
- पति/पत्नी का नाम
- घोषित राष्ट्रीयता
- धर्म, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/जाति
- पिता का विवरण, माता का विवरण, दिव्यांगता, मातृभाषा व अन्य ज्ञात भाषाएं
- साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति
- शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई की स्थिति, उच्चतम शैक्षणिक स्तर/विषय
- पिछले एक वर्ष में काम किया या नहीं, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी

- व्यवसाय, उद्योग, व्यापार या सेवा का प्रकार
- कामगार की श्रेणी, गैर-आर्थिक गतिविधि
- काम की तलाश या काम के लिए उपलब्धता, कार्यस्थल तक यात्रा, जन्मस्थान, अंतिम निवास स्थान, प्रवास का कारण
- अंतिम प्रवास के बाद इस गांव/शहर में रहने की अवधि, स्थायी आवासीय पता
- वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या
- अब तक जन्मे बच्चों की संख्या (वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और अलग रह रही महिलाओं)
- पिछले एक वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या (विवाहित महिलाओं के लिए)
- कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, कुल बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)
- आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो), वोटर आईडी नंबर (यदि उपलब्ध हो)
- पासपोर्ट नंबर (भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए), ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता

डेंगू से परेशान शहर ने मच्छरों को ही बनाया मच्छरों की काट

ब्राजील के बेलेम शहर ने अपने अनूठे प्रयासों से मच्छर जनित बीमारियां 70% तक घटाने में पाई सफलता

अपूर्वा मंडाकिनी, द न्यूयॉर्क टाइम्स

बेलेम। ब्राजील का बेलेम शहर दो वर्ष पहले तक डेंगू के भीषण प्रकोप से जस्त था। अस्तित्व मरीजों से भर जाते थे और मच्छर मारने वाले रसायनों के अत्यधिक छिड़काव से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा था। फिर, उसने मच्छरों को ही मच्छरों की काट बनाने वाला अनूठा तरीका अपनाया। नतीजा, डेंगू और मच्छरजनित बीमारियों पर 70% तक काबू पा लिया गया।

ब्राजील का यह शहर अब दुनिया के कम देशों के लिए डेंगू के खिलाफ काम में एक मिसाल बन गया है। बेलेम शहर ने स्थायी स्तर पर एक बेहद साफ और क्रांतिकारी तरीका अपनाया,

10 लाख से अधिक लोग ब्राजील में डेंगू के शिकार बने वर्ष 2024 में

6,000 से अधिक लोगों को संक्रमण के कारण गंवानी पड़ी थी जान



जिसमें लार्विसाइड युक्त विशेष बलियों का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे कुड़ेदान जैसी यह बाल्टी मादा मच्छरों को आकर्षित करने के लिए एकदम सही अंधेरी और नम जगह प्रदान करती है। बाल्टी के अंदर एक विशेष लार्विसाइड रसायन से युक्त जालीदार परत होती है। जब मादा मच्छर यहां उतरती है, तो रसायन उसके शरीर से चिपक जाता है। फिर जब वह उड़कर अन्य प्रजनन स्थलों पर जाती है, तो रसायन भी साथ ले जाती है। इनके प्रभाव से उन अन्य जगहों पर पनप रहे मच्छरों के लार्वा भी नष्ट हो जाते हैं।

मच्छर फैक्टरी एक बड़ा नवाचार

ब्राजील ने इस स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए पारंपरिक और नहरीले बौद्धिकताओं के छिड़काव से इतरकर पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का भी सहारा लिया है।

■ इसी कड़ी में पिछले वर्ष अपने दुनिया की सबसे बड़ी मच्छर फैक्टरी खोलने की थी। यह विशेष केंद्र बेलेम में कुछ मील दूर कुर्तिका में बनाया गया है।

■ इसमें वोल्बार्निया नामक प्राकृतिक बैक्टीरिया से युक्त मच्छरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और फिर उन्हें मच्छरजनित बीमारियों से प्रभावित क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है।

आबादी पर नियंत्रण पाने में मददगार

■ वोल्बार्निया एक सुरक्षित बैक्टीरिया है जो प्राकृतिक रूप से दुनिया के लगभग आधे कोटों में पाया जाता है, लेकिन आम तौर पर डेंगू, चिकनगुनिया फैलाने वाले एडीज एगिप्टी मच्छरों में नहीं होता।

■ लैब में तैयार वोल्बार्निया-युक्त मच्छरों की प्रभावित बलियों में छोड़ा जाता है, तो वे जंगली मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं। इससे वह तो उनकी आबादी नियंत्रित होती है या फिर नई पीढ़ी में डेंगू वायरस को इंसानों तक पहुंचाने की क्षमता समाप्त हो जाती है।

सामूहिक प्रयासों से बढ़ती तस्वीर, दुर्लभ निगरानियों की बाधसी... बेलेम के मेयर इग्नेर गोमार्टो कहते हैं कि यह सफलता सामूहिक प्रयासों से मिली है। नियंत्रित रूप से घर-घर जाकर निरीक्षण किया जाता है। लोगों को पाने जमा न होने देने के लिए प्रेरित किया जाता है। रासायनिक छिड़काव का सीमित इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से कभी इसके दुष्प्रभाव के कारण लुप्त हो गई

कोविड टीकाकरण की भी जानकारी देनी होगी

जनगणना

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। जनगणना के दौरान पहचान से संबंधित जानकारी में आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से जुड़े सवाल भी शामिल हैं। इसके अलावा कोविड-19 टीकाकरण और बैंक खातों की संख्या की जानकारी भी मांगी जाएगी, जहां लागू हो।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने जनगणना अधिकारियों द्वारा पूछे जाने वाले 40 सवालों को अधिसूचित किया है। इनमें परिवार और व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार, प्रवास तथा पहचान से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं।

साल 2011 की जनगणना के फॉर्म में 29 सवाल शामिल थे। इसमें जाति से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ एससी/एसटी का विकल्प था। जनगणना-2027 के सवालों की सूची में जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 पर है, जिसमें एससी/एसटी के साथ जाति शब्द भी जोड़ा गया है। उधर, कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे पर शुक्रवार को केंद्र पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा, जातियों की सूची उपलब्ध नहीं कराने व उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए जवाब को उसी रूप में दर्ज करने की व्यवस्था से सरकार की मंशा पर संदेह होता है।

ये 40 सवाल जनगणना-2027 में पूछे जाएंगे

1. व्यक्ति का नाम
2. परिवार के मुखिया से संबंध
3. लिंग
4. जन्म तिथि और पूरी हो चुकी आयु
5. वर्तमान वैवाहिक स्थिति
6. विवाह के समय आयु
7. पति/पत्नी का नाम
8. घोषित राष्ट्रीयता
9. धर्म
10. अनुसूचित जाति (एससी)/
अनुसूचित जनजाति (एसटी)/
जाति
11. पिता से संबंधित जानकारी
12. माता से संबंधित जानकारी
13. दिव्यांगता
14. मातृभाषा और अन्य ज्ञात भाषाएं
15. साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता
की स्थिति
16. शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई की
स्थिति
17. उच्चतम शैक्षणिक योग्यता एवं
विषय/विषय-क्षेत्र
18. पिछले वर्ष किसी समय काम
किया या नहीं
19. आर्थिक गतिविधि की श्रेणी
20. व्यवसाय
21. उद्योग, व्यापार या सेवा का प्रकार
22. कामगार की श्रेणी
23. गैर-आर्थिक गतिविधि
24. काम की तलाश या काम के लिए
उपलब्धता
25. कार्यस्थल तक आने-जाने की
जानकारी
26. जन्म स्थान



27. अंतिम निवास स्थान
28. प्रवास का कारण
29. अंतिम प्रवास के बाद इस गांव/शहर में रहने की अवधि
30. स्थायी आवासीय पता
31. वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या
32. वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं अलग रह रही महिलाओं के लिए
33. अब तक जीवित जन्मे बच्चों की संख्या - संबंधित महिलाओं के लिए
34. पिछले एक वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या - वर्तमान में विवाहित महिलाओं के लिए
35. कोविड-19 टीकाकरण का स्थान
36. कुल बैंक खातों की संख्या
37. मोबाइल नंबर - यदि उपलब्ध हो
38. आधार नंबर - यदि उपलब्ध हो
39. मतदाता पहचान पत्र संख्या - यदि उपलब्ध हो
40. पासपोर्ट नंबर-यदि भारतीय पासपोर्ट धारक हों, ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता

कमर दर्द और साइटिका का इलाज अब बिना ऑपरेशन संभव



डॉ. ध्रुव बिबरा,
क्लीनिकल डायरेक्टर,
पेन मैनेजमेंट सेंटर

कमर दर्द और साइटिका ऐसी समस्याएं हैं जो पीड़ित व्यक्ति को एकदम लाचार कर देती हैं। जब फिजियोथेरेपी और पेनकिलर से लाभ नहीं मिलता, तब अक्सर डॉक्टर स्पाइन के ऑपरेशन का सुझाव देते हैं। ओजोन डिसेक्टोमी एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे विदेश में हजारों पीड़ितों को बिना ऑपरेशन कमर दर्द से राहत मिली है। डॉ. ध्रुव बिबरा, दिल्ली पेन मैनेजमेंट सेंटर के क्लीनिकल डायरेक्टर, समझाते हुए बताते हैं कि “कमर दर्द का एक प्रमुख कारण स्लिड डिस्क होता है। इस स्थिति में रीढ़ की हड्डी के बीच स्थित डिस्क सूज जाती है और नस पर दबाव डालती है

जिससे दर्द उत्पन्न होता है। ओजोन डिसेक्टोमी प्रक्रिया में एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड की सहायता से प्रभावित डिस्क में ओजोन डाला जाता है और सूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है”। इस प्रक्रिया के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और यह बिना किसी ऑपरेशन या हॉस्पिटल में दाखिल हुए दर्द से आराम पहुंचाती है। इस पद्धति का प्रयोग पिछले एक दशक से दिल्ली पेन मैनेजमेंट सेंटर में सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिससे अभी तक 25,000 से अधिक रोगियों का इलाज हो चुका है।

पता: दिल्ली पेन मैनेजमेंट सेंटर सफदरजंग एन्क्लेव, राजौरी गार्डन,

पहली बार जनगणना में जाति भी पूछी जाएगी

केंद्र सरकार ने दूसरे चरण के लिए कुल 40 सवालों को दी मंजूरी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जनगणना-2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना (पॉपुलेशन एन्सुमेंटेशन) के लिए 40 सवालों को अधिसूचित कर दिया। इस बार स्वतंत्र भारत में पहली बार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के साथ सभी जातियों की भी गणना की जाएगी।

दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। जनगणना का दूसरा चरण 17 अगस्त, 2026 से लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में शुरू होगा। देश के बाकी हिस्सों में जनसंख्या गणना का यह चरण फरवरी, 2027 में होगा। जनगणना पर 11 हजार 718 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

अधिकारियों के अनुसार, जाति के लिए कोई पूर्व निर्धारित सूची या विकल्प नहीं होगा। यह खुला कॉलम



जनगणना 2011 और 2027 में क्या बदला

2011

- 29 सवाल थे।
- एससी/एसटी।
- नाम, उम्र, लिंग और वैवाहिक स्थिति।
- व्यक्ति से उसके धर्म के बारे में पूछा गया।
- शिक्षा और साक्षरता की स्थिति।
- रोजगार, काम की श्रेणी और जगह।
- जन्म स्थान, माइग्रेशन।
- फॉर्म पेपर आधारित थी।

2027

- 40 प्रश्न पूछे जाएंगे।
- जाति।
- राष्ट्रीयता और पति-पत्नी के बारे में भी बताना होगा।
- धर्म के साथ माता-पिता के विषय में जानकारी।
- डिजिटल साक्षरता और पढ़ाई के विषय।
- रोजगार के साथ काम की तलाश पर भी सवाल।
- मौजूद प्रवास की अवधि भी।
- डिजिटल जनगणना।

होगा और गणनाकर्मी व्यक्ति द्वारा बताई गई जाति को उसी रूप में दर्ज करेंगे। अब तक जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े आंकड़े दर्ज किए जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार बाकी जातियों की भी गणना

की जाएगी। एक से 20 जुलाई तक 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका प्री-टेस्ट किया गया। इसमें एससी/एसटी के अलावा अन्य लोगों से जाति पूछकर खुले कॉलम में दर्ज की गई।

कोविड टीकाकरण की जानकारी भी देनी होगी

जनगणना के दौरान व्यक्ति से कोविड-19 टीकाकरण के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा बैंक खातों की संख्या की जानकारी भी मांगी जाएगी, जहां पर यह पूछना अनिवार्य हो। ➤ P15

पहला चरण 30 सितंबर तक चलेगा

जनगणना का पहला चरण 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें घरों की सूची बनाई जाएगी। हालांकि, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरों की सूची बनाने के लिए गणना कर्मियों ने 16 अप्रैल से घर-घर जाना शुरू कर दिया था।